उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः1800/VII-3/02(05)–एम0एस0एम0ई0/2018
देहरादूनः दिनाँकः28 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र विशेष में सम्भाव्य विशिष्ट चिन्हित आर्थिक गतिविधि, स्थानीय उत्पाद एवं सेवाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने व स्थानीय स्तर पर रोजगार के व्यापक अवसर–सृजन के उद्देश्य से **ग्रोथ सेन्टर योजना** प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. ग्रोथ सेन्टर को Accelerated Development हेतु चिन्हित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेजेज विकसित किये जाने हेतु आवश्यक पूंजी निवेश सरकारी एवं निजी क्षेत्र के समन्वय से सुनिश्चित किया जायेगा। ग्रोथ सेन्टर एक ऐसा क्षेत्र होगा, जो अपनी परिधि में चिन्हित उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विपणन की दृष्टि से विकसित करेगा।

Growth Centre मुख्यतः उत्पाद आधारित (Product based) या सेवा आधारित (Service based) हो सकता है। ये केन्द्र मुख्यतः अपने पृथक अग्रणी आर्थिक गतिविधि के चलते विशिष्ट आर्थिक केन्द्र होंगे।

2. उद्देश्यः–

(1) ग्रोथ सेन्टर की स्थापना मुख्यतः अग्रणी उत्पाद (लीड प्रोडक्ट)/सेवा के चिन्हांकन, जिसमें Critical Gaps को दूर कर आर्थिक गतिविधि के प्रसार द्वारा क्षेत्र विशेष का विकास करना।

(2) क्लस्टर आधारित एप्रोच पर सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माणक एवं सेवा क्षेत्र के उद्यमों के सफल संचालन हेतु सक्षम उद्यमी/कृषक उत्पादक/शिल्पकार एवं बुनकर को संगठित कर इनके निरन्तर व्यवसाय हेतु सुगमीकरण करना।

(3) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में सामूहिक सपोर्टिव कार्यक्रमों के संचालन जैसे सामूहिक सुविधा केन्द्रों, टेस्टिंग लैब एवं अन्य अवस्थापना सृजन हेतु क्षमता विकास।

(4) क्लस्टर स्तर पर चयनित/प्रोत्साहित उद्यम गतिविधि हेतु आवश्यक इनपुट्स जैसेः नवीन तकनीक का समावेश, मशीनरी एवं उपकरण, डिजाइन, पैकेजिंग व विपणन सम्बन्धी आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता हेतु आवश्यक लिंकेज स्थापित करना।

(5) उद्यमीय गतिविधि के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय समावेश एवं उपलब्ध प्रोत्साहन योजना के प्रति भावी उद्यमियों को जागरूक करना।

(6) क्लस्टर स्तर पर उपलब्ध उत्पाद की उपलब्धता का ऑकलन, विपणन हेतु उपलब्ध सरप्लस, जिसमें अर्द्धप्रसंस्कृत/प्रसंस्कृत मूल्य सवंर्द्धित उत्पाद हेतु संग्रहणकर्ता ग्रुप एवं क्रयकर्ता के बीच संयोजन एवं सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(7) क्लस्टर स्तर पर संचालित प्रोत्साहित उद्यम/उत्पाद को बाजार अवसर, व्यवसाय चयन, व्यवसायिक योजना विकास व वित्तीय संमावेशन हेतु Mentoring की सुनिश्चितता।

(8) उत्पादों हेतु ब्राण्ड का विकास, पैकेजिंग का विकास एवं टैस्टिंग लैब, सामान्य सुविधा केन्द्र, डिजाइन स्टूडियो, इग्जीविशन कम ट्रेड सेन्टर आदि का विकास। विपणन सुविधाओं हेतु ई–मार्केटिंग तथा विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभाग।

(9) स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में तीव्र अभिवृद्धि के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित कर युवाओं के पलायन पर अंकुश।

3. योजना के अधीन वित्तीय प्रोत्साहनः–

(1) ग्रोथ सेन्टर के नोटीफाइड क्षेत्र में ग्रोथ सेन्टर के Accelerated Growth हेतु वांछित Infrastructure/Support हेतु किये गये राजस्व व पूंजीगत व्यय योजना के अधीन पात्र होंगे। संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तावित ग्रोथ सेन्टर का भारत सरकार/राज्य सरकार/वाहय सहायतित योजनाओं में प्रथमतः वित्तपोषण हेतु प्रयास किया जायेगा।

(2) अन्य स्त्रोतों से उपलब्धता न होने पर, ग्रोथ सेन्टर योजना में Capital Grant व Consultancy Services हेतु एक बार अनुदान अनुमन्य होगा।

(3) अनुवर्ती व्यय (Reccuring Cost) हेतु संबंधित विभाग अपने वार्षिक बजट में प्राविधान करेंगे। योजना में पद सृजन की अनुमति नहीं होगी।

(4) विभाग आवश्यकतानुसार निजी निवेश/निवेशक को आंमत्रित कर सकते है। यदि फारवर्ड व बैकवर्ड लिकेंज हेतु निजी निवेश/निवेशक को आंमत्रित किया जाता है तो उन्हें भी एमएसएमई नीति के अधीन श्रेणी–ए के जनपदों हेतु निर्धारित अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन कुल परियोजना लागत का 40 प्रतिशत, अधिकतम रू0 40 लाख तक निवेश प्रोत्साहन सहायता चिन्हित ग्रोथ सेन्टर्स में अनुमन्य होगी।

(i) ग्रोथ सेन्टर योजना में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधीन संचालित योजनाओं में अनुमन्य उपादान निश्चित मद हेतु (Particular Component) एक ही स्त्रोत से लिये जाने की अनुमन्यता होगी।

(ii) ग्रोथ सेन्टर योजना में ग्रोथ पर आधारित गतिविधियों जिन्हें विभाग इंगित करें पर ही व्यय अनुमन्य होगा।

(iii) Term Loan पर ब्याज उपादान में 5 प्रतिशत, अधिकतम रू0 10 लाख प्रतिवर्ष तक की प्रतिपूर्ति अधिकतम 05 वर्ष हेतु।

(iv) संबंधित फर्म/इकाई द्वारा प्रदेश के भीतर उपभोक्ता (B टू C) को माल की आपूर्ति पर अनुमन्य ITC के समायोजन के उपरांत जमा किये गये SGST में 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 20 लाख प्रतिवर्ष की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(5) एन0आर0एल0एम0 के अधीन गठित महिला स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पादक संगठन (FPO), कृषक सहकारी संगठन भी योजना के अधीन पात्र होंगे।

4. योजना का संचालनः–

(1) ग्रोथ सेन्टर के चयन का अनुमोदन/स्वीकृति उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी जायेगी, जिसकी संरचना निम्नवत हैः–

उच्च स्तरीय समिति की संरचनाः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष।
2. अपर मुख्य सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, आयुष, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, आई0टी0, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य।
8. प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य।
9. प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य।
10. प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य।
11. प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य।
12. प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य सचिव।
13. आयुक्त/महानिदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।	सदस्य।
14. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।	सदस्य।
15. विशिष्ट संस्थानों/विशेषज्ञ	विशेष आमंत्रित सदस्य।

(2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ग्रोथ सेन्टर योजना हेतु नोडल विभाग होगा।

(3) संबंधित विभाग अपने अधीन संचालित किये जाने वाले ग्रोथ सेन्टर का चिन्हांकन करते हुये इन्हें उच्च स्तरीय समिति से अनुमोदित करायेंगे।

(4) यथासम्भव प्राथमिकता के आधार पर अटल आदर्श ग्रामों में 'ग्रोथ सेन्टर' योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जायेगी।

(5) चिन्हित ग्रोथ सेन्टर के बैकवर्ड व फारवर्ड लिंकेज हेतु Critical Gap Funding हेतु अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर ही योजना के अधीन वित्त पोषण किया जायेगा।

(6) योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जनपद स्तर पर निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगाः–

जनपद स्तरीय समिति की संरचनाः–

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष।
2. मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष।
3. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य।
4. जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य।
5. अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य।
6. जिला पर्यटन अधिकारी	सदस्य।
7. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव।

(6) प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा ग्रोथ सेन्टर योजना के दिन–प्रतिदिन के कार्यों के सम्पादनार्थ जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किये जायेगें।

(7) निजी निवेश/निवेशक को समयबद्ध स्वीकृतियों हेतु एकल खिड़की व्यवस्था के उपयोग की अनुमति होगी।

(8) योजना की Third Party Monitoring की व्यवस्था रहेगी।

(9) एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा योजना के अनुश्रवण हेतु आई0टी0 आधारित मासिक प्रगति पोर्टल विकसित किया जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अ0शा0 संख्याः–307/XXVII(2)/2018 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 में प्रदत्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः /VII-3/02(05)–एम0एस0एम0ई0/2018, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

3 निजी सचिव–मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

4 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5 अपर मुख्य सचिव एवं स्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।

6 अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।

7 आयुक्त, कुमाऊ/गढवाल, उत्तराखण्ड।

8 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

9 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

10 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

11 महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

12 प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।

13 मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।

14 मुख्य निवेश आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।

15 सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।

16 समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उत्तराखण्ड।

17 एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

18 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।